न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल

सरकार बनाम कृष्णदान वगै0

सीआईएस/फौ0मू0 संख्या 1243/2017 (1441/2016)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2026	श्रीमान जेएम भीनमाल के रानीवाडा कैम्प में होने से प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष पेश किया। एपीओ उपस्थित । अभियुक्तगण **कृष्णदान व दीपाराम उर्फ हीराभारती** ने न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण **श्री ईश्वर सिंह देवड़ा** जी ने अभियुक्तगण **कृष्णदान व दीपाराम उर्फ हीराभारती** की ओर से जमानत आवेदन पेश किया। प्रार्थना पत्र की नकल योग्य सहायक लोक अभियोजक को दिलायी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं अपराध की प्रकृति के आधार पर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि प्रत्येक अभियुक्तगण 20 हजार रूपये के बंध पत्र एवं इसी राशि की जमानत इस न्यायालय की संतुष्टिनुसार इन शर्तों के अधीन पेश कर तस्दीक करा दे कि वह नियत पेशिओं पर निरन्तर हाजिर आता रहेगा तो उसे जमानत पर आजाद कर दिया जाये अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में रखे। आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश हुए जो बाद जांच तस्दीक किये गये। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया गया। पत्रावली वास्ते हा0मु0 शेष अभियुक्तगण धर्माराम, भेराराम, डायाराम उर्फ अल्पेश व नरेश कुमार के नियत दिनॉक 23.04.2026 को पेश हो । न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल (जालोर)	कृष्णदान हीराभारती देनाराम पटवारी 446 Pending अभि० कृष्णदान व हीराभारती दीपाराम